



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ ज्येष्ठ 11, 1940

No. 375]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/ JYAISTHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

**संख्या 33/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**

**सा.का.नि. 523(अ).**—जहां कि बंगलादेश, ताइवान, कोरिया गणराज्य, पाकिस्तान और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “हाइड्रोजन पेरॉक्साइड” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2847 00 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/03/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017, जिसे दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 587 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है और उसको अधिसूचित भी किया है।

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाठन शुल्क की सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के आदेश संख्या 58470-58474/2017, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में समीक्षा किए जाने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/03/2015-डीजीएडी, दिनांक 17 अप्रैल, 2018, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में

गैर हानिकारक मूल्य का पुनःनिर्धारण किया है और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर संशोधित प्रतिपाठन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटिट वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाठन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 587 (अ) दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

क्र.सं.	शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातकर्ता देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2847	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड	बंगलादेश	बंगलादेश	मैसर्स समुदा केमिकल्स	समुदा केमिकल्स	46.90	अमेरिकी डालर	मी.टन
2.	2847	वही	बंगलादेश	बंगलादेश	तसनीम केमिकल्स	तसनीम केमिकल्स	27.81	अमेरिकी डालर	मी.टन
3.	2847	वही	बंगलादेश	बंगलादेश	एएसएम केमिकल्स	एएसएम केमिकल्स	46.29	अमेरिकी डालर	मी.टन
4.	2847	वही	बंगलादेश	बंगलादेश	उपर्युक्त क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		105.82	अमेरिकी डालर	मी.टन
5.	2847	वही	बंगलादेश	प्रतिपाठन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	105.82	अमेरिकी डालर	मी.टन
6.	2847	वही	प्रतिपाठन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	बंगलादेश	कोई भी	कोई भी	105.82	अमेरिकी डालर	मी.टन
7.	2847	वही	पाकिस्तान	पाकिस्तान	मैसर्स सितारा पेरॉक्साइड लि.	मैसर्स सितारा पेरॉक्साइड लि.	69.91	अमेरिकी डालर	मी.टन
8.	2847	वही	पाकिस्तान	पाकिस्तान	डेस्कॉन ऑक्सी केम लि.	डेस्कॉन ऑक्सी केम लि.	76.60	अमेरिकी डालर	मी.टन
9.	2847	वही	पाकिस्तान	पाकिस्तान	उपर्युक्त क्रम संख्या 7 और 8 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		132.31	अमेरिकी डालर	मी.टन
10.	2847	वही	प्रतिपाठन शुल्क वाले देश से भिन्न	पाकिस्तान	कोई भी	कोई भी	132.31	अमेरिकी डालर	मी.टन

			अन्य कोई देश						
11.	2847	वही	पाकिस्तान	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	132.31	अमेरिकी डालर	मी.टन
12.	2847	वही	थाइलैंड	थाइलैंड	मैसर्स थाई पेरॉक्साइड कं.लि.	मैसर्स थाई पेरॉक्साइड कं.लि.	31.59	अमेरिकी डालर	मी.टन
13.	2847	वही	थाइलैंड	थाइलैंड	उपर्युक्त क्रम संख्या 12 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		78	अमेरिकी डालर	मी.टन
14.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	78	अमेरिकी डालर	मी.टन
15.	2847	वही	थाइलैंड	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	78	अमेरिकी डालर	मी.टन
16.	2847	वही	कोरिया	कोरिया	कोई भी	कोई भी	60.52	अमेरिकी डालर	मी.टन
17.	2847	वही	कोरिया	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	60.52	अमेरिकी डालर	मी.टन
18.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोरिया	कोई भी	कोई भी	60.52	अमेरिकी डालर	मी.टन
19.	2847	वही	ताइवान	ताइवान	कोई भी	कोई भी	71	अमेरिकी डालर	मी.टन
20.	2847	वही	ताइवान	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	71	अमेरिकी डालर	मी.टन
21.	2847	वही	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	ताइवान	कोई भी	कोई भी	71	अमेरिकी डालर	मी.टन

[फा.सं. 354/232/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 को सा.का.नि. 587 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2018

**No. 33/2018-Customs (ADD)**

**G.S.R. 523(E).**— Whereas in the matter of “Hydrogen Peroxide” (hereinafter referred to as ‘the subject goods’) falling under tariff item 2847 00 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the ‘Customs Tariff Act’), originating in, or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Indonesia, Pakistan and Thailand (hereinafter referred to as ‘the subject countries’), and imported into India, the designated authority in its final findings vide notification No. 14/3/2015-DGAD, dated the 11th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th April, 2017, had recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries and notified vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2017-Customs (ADD), dated the 14th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub-section (i), vide number G.S.R.587 (E), dated the 14th June, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in pursuance of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) order No. 58470-58474/2017 dated the 20th December, 2017 , the designated authority in its final findings, published vide notification No. 14/3/2015-DGAD, the dated 17th April, 2018, in the Gazette of India, has re-determined the Non-Injurious Price (NIP) and recommended the revised anti-dumping duty on import of ‘subject goods’ originating in or exported from ‘subject countries’ and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18,20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2017-Customs (ADD), dated the 14th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.587 (E), dated the 14th June, 2017, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following Table and entries shall be substituted, namely: -

**TABLE**

S.N.	Heading	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2847	Hydrogen Peroxide	Bangladesh	Bangladesh	M/s Samuda Chemicals	Samuda Chemicals	46.90	USD	MT
2	2847	Do	Bangladesh	Bangladesh	Tasnim Chemicals	Tasnim Chemicals	27.81	USD	MT
3	2847	Do	Bangladesh	Bangladesh	ASM Chemicals	ASM Chemicals	46.29	USD	MT
4	2847	Do	Bangladesh	Bangladesh	Any combination other than mentioned in S.N. 1,2 & 3 above		105.82	USD	MT
5	2847	Do	Bangladesh	Any country other than those subject to antidumping	Any	Any	105.82	USD	MT

				duty					
6	2847	Do	Any country other than those subject to antidumping duty	Bangladesh	Any	Any	105.82	USD	MT
7	2847	Do	Pakistan	Pakistan	M/s Sitara Peroxide Ltd	M/s Sitara Peroxide Ltd	69.91	USD	MT
8	2847	Do	Pakistan	Pakistan	Descon Oxychem Ltd	Descon Oxychem Ltd	76.60	USD	
9	2847	Do	Pakistan	Pakistan	Any combination other than mentioned in S.N. 7 & 8 above		132.31	USD	MT
10	2847	Do	Any country other than those subject to antidumping duty	Pakistan	Any	Any	132.31	USD	MT
11	2847	Do	Pakistan	Any country other than those subject	Any	Any	132.31	USD	MT
				to antidumping duty					
12	2847	Do	Thailand	Thailand	M/s Thai Peroxide Co Ltd	M/s Thai Peroxide Co Ltd	31.59	USD	MT
13	2847	Do	Thailand	Thailand	Any combination other than mentioned in S.N. 12 above		78	USD	MT
14	2847	Do	Any country other than those subject to antidumping duty	Thailand	Any	Any	78	USD	MT
15	2847	Do	Thailand	Any country other than those subject to antidumping duty	Any	Any	78	USD	MT
16	2847	Do	Korea	Korea	Any	Any	60.52	USD	MT
17	2847	Do	Korea	Any country other than those subject to antidumping duty	Any	Any	60.52	USD	MT
18	2847	Do	Any country other than those subject	Korea	Any	Any	60.52	USD	MT

			to antidumping duty						
19	2847	Do	Taiwan	Taiwan	Any	Any	71	USD	MT
20	2847	Do	Taiwan	Any country other than those subject to antidumping duty	Any	Any	71	USD	MT
21	2847	Do	Any country other than those subject to antidumping duty	Taiwan	Any	Any	71	USD	MT”.

[F.No.354/232/2016-TRU (Pt-I)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.,

**Note:** The principal notification No. 28/2017-Customs (ADD), dated the 14<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.587 (E), dated the 14<sup>th</sup> June, 2017.